बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 अवमानना निविद- 9040-PBR-16

इन्साफ अहमद पुत्र इकबाल खां निवासी तहसील व कस्वा आरोन जिला गुना म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. श्री नीरज शर्मा ,
   अनुविभागीय अधिकारी , तहसील आरोन
   जिला गुना
3. अंसार खां पुत्र श्री रहीस खां वार्ड क्रमांक 11 आरोन जिला गुना म.प्र.

...... अनावेदकगण

4. इकबाल अहमद पुत्र वजीर खां
5. इकरार अहमद पुत्र इकबाल खां
6. इरफान अहमद पुत्र इकबाल खां
   निवासीगण – तहसील व कस्बा आरोन
   जिला गुना

.... तरतीवी पक्षकार

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील आरोन जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/ अपील /15–16 में पारित आदेश 21.04. 2016 के विरूद्व माननीय न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 1384 / पीबीआर/ 16 प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2016 को आदेश पारित करते हुए " अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी स्थगन आवेदन पर निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही करें।

विविध 9040-PB-R/16 गुना
इन्साफ / शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
11.8.2016	आवेदक की ओर से श्री आर० एस० सेंगर अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.6.2016 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम रूप का आदेश पारित किया गया है, जो अपीलीय आदेश होकर उसके विरुद्ध निगरानी प्रतिबन्धित है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि अनुरूप प्रस्तुत नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

ग्राक्षमुग्वा—320—फार्म—21-9-12—5,000 प्रपत्र